



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231149  
CG-DL-E-15112021-231149

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4365]  
No. 4365]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

**का.आ. 4731(अ).—**जबकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (जिसे इसमें इसके पश्चात आईआरएफ कहा गया है) देश की सुरक्षा के लिए अहितकर तथा शांति और सांप्रदायिक सौहार्द तथा देश के धर्म निरपेक्ष ताने-बाने को भंग करने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहा है;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय के दिनांक 17 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3460 (अ) के तहत आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया।

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण (इसके पश्चात अधिकरण कहा गया है) का गठन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के तहत यह न्याय निर्णय करने के लिए किया गया था कि क्या आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं तथा अधिकरण ने दिनांक 22 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1656 (अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में अपने आदेश के द्वारा इस प्रकार की गई घोषणा की पुष्टि की;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रतिबंध की अवधि 16 नवंबर, 2021 को समाप्त हो जाएगी;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि आईआरएफ तथा इसके सदस्य विशेष रूप से उक्त संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाईक अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य, घृणा अथवा दुर्भावना को बढ़ावा देने अथवा बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए उकसाता है और सहायता प्रदान करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए अहितकर हैं; नामतः

- (क) आईआरएफ के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक द्वारा दिए गए वक्तव्य और भाषण आपत्तिजनक और विद्वेषकारी हैं;
- (ख) ऐसे भाषणों एवं वक्तव्यों के माध्यम से आईआरएफ के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य एवं घृणा को बढ़ावा दे रहा है तथा भारत और विदेश में बसे धर्म विशेष के युवाओं को आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहा है; और
- (ग) आईआरएफ के अध्यक्ष डॉ. जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वभर में लाखों लोगों के समक्ष कट्टरपंथी बयान एवं भाषण दिए हैं;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि आईआरएफ की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तत्काल प्रतिबंधित और नियंत्रित नहीं किया गया तो वह

- (i) अपनी विद्वेषकारी गतिविधियों को जारी रखेगा और अपने उन कार्यकर्ताओं को, जो अभी भी भगोड़े हैं, पुनः संगठित करेगा ;
- (ii) लोगों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना पैदा करके लोगों को भड़काकर देश के पंथ निरपेक्ष ताने-बाने को भंग करेगा;
- (iii) राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करेगा;
- (iv) उग्रवाद का समर्थन करके पृथक्तावाद को बढ़ावा देगा तथा
- (v) देश की प्रभुसत्ता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अहितकर गतिविधियां चलाएगा।

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि आईआरएफ की गतिविधियों को देखते हुए आईआरएफ को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है;

इसलिए अब विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दिए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 14017/5/2021-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2021

**S.O. 4731(E).**—WHEREAS, the Islamic Research Foundation (hereinafter referred to as the IRF) has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the IRF as an unlawful association, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 3460(E), dated the 17th November, 2016.

AND WHEREAS, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal) was constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the IRF as an unlawful association and the Tribunal, by its Order, published, *vide*, notification number S.O. 1656 (E), dated the 22nd May, 2017, has confirmed the declaration so made;

AND WHEREAS, the duration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, shall cease on the 16th day of November, 2021;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the IRF and its members, particularly, the founder and President of the IRF, Dr. Zakir Abdul Karim Naik *alias* Dr. Zakir Naik, has been encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote, on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious communities and groups which are prejudicial to the integrity and security of the country on the basis, *inter alia*, on the following grounds, namely:—

- (a) the statements and speeches made by Dr. Zakir Naik, the President of the IRF, are objectionable and subversive;
- (b) through such speeches and statements, Dr. Zakir Naik, President of the IRF, has been promoting enmity and hatred amongst different religious groups and inspiring youths of a particular religion in India and abroad to commit terrorist acts; and
- (c) Dr. Zakir Naik, President of the IRF, made radical statements and speeches to millions of people worldwide through international satellite TV network, internet, print and social media;

AND WHEREAS, the Central Government is further of the opinion that, if the unlawful activities of the IRF are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to —

- (i) continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding;
- (ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;
- (iii) propagate anti-national sentiments;
- (iv) escalate secessionism by supporting militancy; and
- (v) undertake activities which are prejudicial to the sovereignty, integrity and security of the country;

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that with regard to the activities of the IRF, it is necessary to declare the IRF as an unlawful association with immediate effect;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/5/2021-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.